9

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 32/2020

रामोतार मीणा, ग्रा0पो0 भूडन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 05.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.06.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 32/2020 पर दिनांक 09.06.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/577—78 दिनांक 11.06.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2020/58 दिनांक 14.07.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा इस कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के तहत प्राप्त प्रकरणों के गत तीन वर्ष की पंजिका की प्रतिलिपि चाही गई है। अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज जाते है। धारा 136 के जांच हेतु प्रार्थना पत्रों की पंजिका तहसील कार्यालय में अलग से संधारित नही की जाती है जिसकी सूचना से अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/57 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/58 दिनांक 14.07.

2020 के अनुसार आवेदक द्वारा उनके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के तहत प्राप्त प्रकरणों के गत तीन वर्ष की पंजिका की प्रतिलिपि चाही गई है। अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज जाते है। धारा 136 के जांच हेतु प्रार्थना पत्रों की पंजिका तहसील कार्यालय मे अलग से संधारित नही की जाती है जिसकी सूचना से अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2020/57 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू